भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 205

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के किसानों को लाभ

***205. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः**
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आंरभ से अब तक इससे लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के किसानों की कुल संख्या कितना है;

(ख) उपरोक्त श्रेणी में महिला किसानों का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए किसी विशेष आवास की व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसानों को योजना या संबंधित सरकारी कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेज से सम्बन्धित मुद्दों का समाधान करने के लिए किए गए उपायों सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ "पीएम-किसान योजना के तहत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के किसानों को लाभ" के संबंध में डॉ. गुम्मा तनुजा रानी, श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 205 के भाग (क) से (घ) का उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) मोड के माध्यम से अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए भारत सरकार ने योजना के आरंभ से अब तक 18 किस्तों में किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ वितरण किया है। पीएम-किसान योजना की 18वीं किस्त 9.58 करोड़ लाभार्थियों को जारी की गई है । 18वीं किस्त में लाभान्वित होने वाले किसानों का श्रेणी-वार और लिंग-वार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ग	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल	महिला किसानों का प्रतिशत
अन्य	5,80,70,139	1,73,21,938	21,277	**7,54,13,354**	22.97%
एस.सी.	88,71,637	27,74,568	3,249	**1,16,49,454**	23.82%
एस.टी.	62,91,658	25,40,535	2,634	**88,34,827**	28.76%

ओ.बी.सी. किसानों के लिए कोई अलग से डेटा नहीं रखा जाता है और उन्हें "अन्य" श्रेणी में शामिल किया जाता है।

(ग) और (घ): जी नहीं, पीएम-किसान योजना के अंतर्गत आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। पीएम-किसान योजना केवल खेती योग्य भूमि वाले किसानों के लिए लागू है। हालांकि, देश के विशिष्ट क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. समुदायों से संबंधित किसानों के सामने आने वाली भूमि स्वामित्व दस्तावेजो से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने पीएम-किसान योजना में उनके निर्बाध समावेश को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित उपायों को कार्यान्वित किया है:

(i) पूर्वोत्तर राज्यों में समुदाय आधारित भूमि स्वामित्व अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, सभी पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) के लिए भूमि सीडिंग (लैंड सीडिंग) की अनिवार्य शर्त में छूट दी गई है, जहां लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा एसटी श्रेणी से है।

(ii) मणिपुर में, ग्राम प्राधिकरण द्वारा जारी और संबंधित उप-मंडल अधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र को भूमि स्वामित्व दस्तावेज के रूप में मान्य है और इसके आधार पर, योजना के तहत उनके पंजीकरण की अनुमति दी गई है।

(iii) इसी तरह, नागालैंड राज्य के लिए भूमि स्वामित्व के संबंध में ग्राम परिषद/प्राधिकरण/ग्राम प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसे सर्कल/उप-मंडल के प्रशासनिक प्रमुख द्वारा सत्यापित और जिले के उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित को योजना के तहत भूमि स्वामित्व दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है ।

(iv) सरकार ने झारखंड राज्य में योजना के तहत भूमि स्वामित्व के प्रमाण के रूप में विधिवत अनुमोदित 'वंशावली' को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

(v) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टा धारकों को अन्य पात्रता शर्तों के अधीन पीएम-किसान योजना के तहत पात्र माना गया।

*****